२३/५/२५

पत्रा. पेश हुई। [illegible] प्रार्थिया [illegible]
अन्तर्गत धारा 212 [illegible] स्वीकार किया जाकर
[illegible]
[illegible] कायम किया जाता है। [illegible]
जाकर [illegible]
पत्रा. [illegible]
[illegible]

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 181/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/3372
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 23.04.2024

1. मिथलेश पुत्री रामचरन पत्नी बृजेन्द्र सिंह उर्फ बृजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल निवासी ग्राम बारौली तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

बनाम —प्रार्थीया

1. प्रभा शर्मा उम्र 40 साल पत्नी योगेन्द्रशर्मा जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. योगेन्द्रशर्मा उम्र 45 साल पुत्र रामचरन जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. राज. सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
4. सब रजिस्ट्रार नदबई।

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री लक्ष्मण सिंह एड.(प्रार्थी की ओर से)

श्री फूलसिंह एड..(अप्रार्थी की ओर से)

निर्णय प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।

23/4/24

2. यह है कि खाता सं. 202 के आराजी खसरा नंबर 506 रकबा 0.49, 507 रकबा 1.11, 511 रकबा 0.66 किता 3 रकबा 2.26 हैक्टेयर वाके ग्राम पींगौरा तहसील नदबई पर स्थित है।

3. यह है कि खाता संख्या 383 के खसरा नंबरान 468 रकबा 0.01, 509 रकबा 0.09, 510 रकबा 0.03, 512 रकबा 0.92 कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर वाके ग्राम पींगौरा तहसील नदबई में स्थित है।

4. यह है कि हाल खाता संख्या 202 के खसरा नंबर 506 रकबा 0.49, 507 रकबा 1.11, 511 रकबा 0.66 कुल रकबा 2.26 हैक्टेयर वाके ग्राम पींगौरा तहसील नदबई तथा हाल खसरा संख्या 383 वाके ग्राम पींगौरा के हाल खसरा नंबर 468 रकबा 0.01, 509 रकबा 0.09, 510 रकबा 0.03, 512 रकबा 0.92 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर विवादित है। उक्त विवादित आराजी मद संख्या 2 व 3 की आराजी वाके ग्राम पींगौरा के निस्फ हिस्से यानि कि 1/2 हिस्से पर प्रार्थीया अपने पिता रामचरन पुत्र शंकर जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा तहसील नदबई के समय से खातेदारी की तरह काबिज रहकर काश्त करती चली आरही है। उक्त विवादित आराजी पैतृक है।

5. यह है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरीके से विवादित आराजी आराजी वर्णित चरण संख्या 2 प्रार्थना पत्र की आराजी खसरा नंबर 506 रकबा 0.49, 507 रकबा 1.11, 511 रकबा 0.66 वाके ग्राम पींगौरा तहसील नदबई के खाता संख्या 202 की आराजी कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम इन्द्राजात खातेदारी गलत चले आ रहे हैं। उक्त आराजी के निस्फ हिस्से पर प्रार्थीया अपने पिता रामचरन पुत्र शंकर जाति ब्राह्मण

23/4/24

... हैक्ट. वाकेग्रामपींगोरातहसीलनदबई

निवासी पींगौरा के समय से खातेदार की तरह काबिज काश्त चली आ रही है। तथा विवादित आराजी चरण संख्या 3 हाल खाता संख्या 383 के खसरा नंबर 486, 509, 510, 512, किता 4 रकबा 1.05 हैक्टेयर वाके ग्राम पींगौरा तहसील नदबई की विवादित कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 के नाम वाहिद इन्द्राजात खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे हैं। उक्त विवादित आराजी खाता संख्या 202 व खाता संख्या 383 पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी के वाहिद इन्द्राजात खातेदारी से प्रार्थी के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अतः प्रार्थीया विवादित आराजी चरण संख्या 2 व 3 की कृषि भूमि वाके ग्राम पींगौरा पर अपने आप को खाता संख्या 202 व 383 में दर्ज विवादित आराजी पर निस्फ हिस्से पर अपने आप को खातेदार व काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है। तथा वयनामा रजिस्टर्ड दिनांक 23.06.14 को नल एण्ड वोइड घोषित करा पाने का अधिकारी है तथा वसीयतनामा रजिस्टर्ड वाहक प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थीया नल एण्ड वोइड घोषित करा पाने के अधिकारी हैं तथा खाता संख्या 202 की आराजी पुश्तैनी विवादित वाके ग्राम पींगौरा में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम वाहिद इन्द्राजात खातेदार को एंव अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में विवादित आराजी जो कि पुश्तैनी आराजी है। उक्त विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 3 आराजी जिसका खाता संख्या 383 वाके ग्राम पींगौरा बाबत् रजिस्टर्ड वयनामा को प्रार्थीया नल एण्ड वोइड घोषित करा पाने के अधिकारी है। तथा विवादित आराजी चरण संख्या 3 की आराजी किता 4 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर वाके ग्राम पींगौरा में विवादित वसीहत खसरा

23/4/24

नंबर 468, 509, 510, 512 पर प्रार्थीया के पिता रामचरन पुत्र शंकर की मृत्योपरांत नामान्तरकरण संख्या 1129 दिनांक 28.07.22 जो कि प्रक्रियाधीन है, के बाबत दाखिला खारिज तश्दीक न करने व अमलदरामद खातेदारी न करने बाबत अदालत श्रीमान से स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1129 दिनांक 28.07.22 को नल एण्ड वोइड घोषित करा पाने के अधिकारी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वाहिद इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने के अधिकारी है।

6. यह है कि अब विवादित आराजी चरण संख्या 2 व 3 वाके ग्राम पींगौरा को पूर्व की भांति शामिल रहकर काश्त करना संभव नहीं रहा है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य लगान व काश्त तथा डौर मैड पर विवाद होने लग गए हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीया विवादित आराजी का प्रार्थीया तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 मे दर्ज आराजी का अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी का कुर्रेजात मंगवाया जाकर पृथक्–पृथक् खाता लगान आदि कायम किया जाकर बंटवारा की डिक्री पारित की जावे तथा हाल नक्शा ट्रेस में मुताबिक विभाजन दुरूस्ती की जाकर तरमीम करा पाने के अधिकारी है।

7. यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बमुकाम दिनांक 01.08.22 को प्रार्थी को धमकी दी गई कि विवादित आराजी चरण संख्या 2 व 3 की आराजी में प्रार्थी द्वारा अपने निस्फ हिस्से 1/2 में प्रार्थीया द्वारा बोई गई फसल को लठ्ठ के बल पर काटकर रहेंगे तथा प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 से

23/4/24

मिलजुलकर प्रार्थीया की पुश्तैनी आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन वयमुन्तकिल कर देंगे तथा प्रार्थीया के 1/2 निस्फ हिस्से से बेदखल कर देंगे। प्रार्थीया का प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन बखूबी साबित है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करें कि वे प्रार्थीया के 1/2 हिस्से से बेदखल न करें तथा उक्त विवादित आराजी को रहनवयमुन्तकिल न करें तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की तरफ से श्री फूलसिंह एडवोकेट उपस्थित हुये व जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो निम्नानुसार है :–

1. प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 स्वीकार है लेकिन कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 प्रार्थना पत्र के अनुसार आराजी वर्णित खाता संख्या 202 के खसरा नंरब 506, 507, 511 किता 3 कुल रकबा 2.26 हैक्टेयर वाके ग्राम पींगौरा होना स्वीकार है व रिकॉर्ड से संबंधित है।
3. यह है कि खाता संख्या 383 की आराजी खसरा नबर 509, 510, 512 व 468 किता 4 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर भी वाके ग्राम पींगौरा स्थित होना स्वीकार है।
4. यह है कि मद संख्या 4 प्रार्थना पत्र गलत व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर होने के कारण अस्वीकार है। खाता संख्या 202 व 383 के खसरा नंबरान से वादिनी का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है और

23/4/24

1. 11, 511 रकबा 0. 66 किता 3 रकबा 2. 26 हैक्ट. वाके ग्राम पींगौरा तहसील नदबई

जिला भरतपुर में स्थित है। सत्यप्रतिजमाबंदी सं. 2075 से 2078 प्रार्थनापत्र के साथ

न ही हिस्सा निस्फ की हकदार है क्योंकि विवादित आराजी वादी प्रार्थीया व अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 2 के पिता रामचरन की स्वअर्जित आराजी रही है। जिसने अपनी स्वेच्छा से खाता संख्या 202 के आराजी खसरा नंबर 506 व 507 व 511 का संपूर्ण हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिफल लेकर गैरसायलान 1 के हक में दिनांक 23.06.14 को निष्पादित करा दिया था तभी से गैरसायलान संख्या 1 उपरोक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा खाता संख्या 383 की आराजी खसरा नंबर 509, 510 व 512, 468 जरिए वसीयतनामा गैरसायलान संख्या 2 के हक में करा दी है जो सायला व वादिनी की पूर्ण जानकारी में रहा है तथा पिता रामचरन के जीवनकाल में कोई वादिनी ने दावा प्रस्तुत नहीं किया था तथा सजरा आंशिक स्वीकार है लिहाजा प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

5. यह कि मद संख्या 5 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है। विवादित आराजी चरण संख्या 2 व 3 की आराजी से प्रार्थीया का कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है। आराजी वादिनी/प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता की स्वअर्जित आराजी थी जिसने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 23.06.14 को खाता संख्या 202 की आराजी का बयनामा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में दावे से पूर्व ही निष्पादित करा दिया था तो प्रार्थीया/वादिनी का रामचरन पिता के जीवनकाल से ही विवादित आराजी पर काश्त करना संभव नहीं रहा है। तथा जब तक बयनामा की जानकारी शुरू से ही वादिनी को थी तो उसके पिता के जीवनकाल में कोई उजदारी नहीं की तथा उनकी मृत्यु के बाद यह

23/4/24

...506 रकबा 0.49, 507 रकबा

...हैक्ट. वाके ग्राम पीगोरा तहसील नदबई

वादपत्र व प्रार्थना पत्र 212 पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है तथा खाता संख्या 383 की आराजी की भी वसीयत अप्रार्थी संख्या 2 के हक में करा दी जिसका नामान्तरकरण संख्या 1129 से दाखिला खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार प्रार्थीया न तो उपरोक्त वयनामा व वसीहतनामा को चैलेंज करने की अधिकारिणी ही नहीं है। तथा अपने आप को विवादित आराजी के किसी हिस्से की खातेदारी भी कराने की अधिकारिणी भी नहीं है।

6. यह कि मद संख्या 6 प्रार्थना पत्र गैर कानूनी व रिकॉर्ड के विपरीत है जो अस्वीकार है जब प्रार्थीया विवादित आराजी में रिकॉर्ड अनुसार सह काश्तकार दर्ज ही नहीं है तो बंटवारा करा पाने की अधिकारिणी नहीं है।

7. यह है कि मद संख्या 7 प्रार्थना पत्र मनगढन्त तथ्यों के आधार पर होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीया का आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है और पिता रामचरन के जीवनकाल में ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मुताबिक वयनामा व वसीयतनामा काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। न ही किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिजी के है।

8. अतिरिक्त कथन यह है कि विवादित आराजी प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता रामचरन की स्वअर्जित आराजी रही है तथा खाता संख्या 202 की आराजी के साविक खसरा नंबरान जमींदारी विस्वेदारी उन्मूलन एक्ट के पश्चात पिता रामचरन की स्वअर्जित आराजी घोषित की जा चुकी है जो पैतृक आराजी की परिभाषा में नहीं आती है तथा

23/4/24

...1900 रकबा 0.49, 507रकबा

खाता संख्या 383 की आराजी पिता रामचरन को अलॉटमेंट से प्राप्त हुई है जो स्वअर्जित आराजी है जिसको ट्रांसफर करने का पूर्ण अधिकार पिता रामचरन को प्राप्त थे एवं उक्त आराजी वर्णित के संबंध में वयनामा व वसीहतनामा को सक्षम अदालत से कराए बगैर प्रार्थीया को विरासतन अधिकार भी हासिल नहीं होते हैं। अतः प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन व अपरिमित क्षति अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र खारजि फरमाया जावे।

9. प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2075–2078 वाके ग्राम पींगौरा, नकल जमाबंदी संवत 2012 वाकेग्राम पींगौरा, नकल वंशावली संवत 2012 वाके ग्राम पींगौरा,नकल फोटोप्रति मिलान क्षेत्रफल संवत 2028, नकल जमाबंदी ढालवांच वाकेग्राम पींगौरा संवत 2021, नकल जमाबंदी संवत 2016 वाके ग्राम पींगौरा, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाकेग्राम पींगौरा, नकल खसरा गिरादावरी संवत 2021, नकल जमाबंदी संवत 2067–70, 2063–66 वाके ग्राम पींगौरा, नकल वयनामा तारीख 23.06.14, नकल आधार कार्ड फोटोप्रति पेश किए गए। अप्रार्थी ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में किसी भी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

10. अप्रार्थीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल इन्तकाल संख्या 237 वाके ग्राम पींगौरा, नकल जमाबंदी संवत 2034 वाके ग्राम पींगौरा पेश की गई तथा नकल प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला न्यायाधीश

28/4/24

महोदय, भरतपुर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 39 नियम 1 व 2 व उनवानी मिथलेश बनाम प्रभा पेश की गई जो शामिल पत्रावली है।

11. हमने प्रार्थी के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि :–

1. **<u>पृथमदृष्टया केस</u>**– प्रार्थीया द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 89,89,188 आरटीए के तहत खातेदारी घोषणा का पेश किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र की मदसंख्या 2 व 3 की आराजी वाकेग्राम पींगौरा पर स्थित है। प्रार्थीया द्वारा वाद पत्र में अपने पिता रामचरन को अपने बाबा शंकर से प्राप्त आराजी में हिस्सा व हक्कों की घोषणा चाही गई है तथा वादिनी/प्रार्थीया के पिता रामचरन द्वारा अपनी पुत्रवधू प्रभा पत्नी योगेन्द्र शर्मा एक वयनामा दिनांक 23.06.14 को कराया गया है एवं एक वसीहतनामा वादिनी के पिता रामचरन द्वारा योगेन्द्र शर्मा पुत्र रामचरन के नाम दिनांक 23.06.14 को कराई गई है जो कि उक्त दोनों दस्तावेजों से प्रमाणित है कि प्रार्थीया उक्त विवादित आराजी को पैतृक संपत्ति की आराजी में अपना 1/3 हिस्सा अपने पिता रामचरन की आराजी में से प्राप्त करने हेतु खातेदारी घोषणा चाही गई है। वादपत्र में मुख्यतः रूप से बिन्दु पैतृक संपत्ति में अपनी खातेदारी चाही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजीयात प्रार्थीया के पिता रामचरन को अपने पिता शंकर से प्राप्त होती अथवा नही यह वाद पत्र में दोनों पक्षकारों की साक्ष्य लेकर वाद को मेरिट पर निर्णित करते समय तय किया जावेगा तथा वादिनी को खातेदारी अधिकारी मिलते हैं अथवा नहीं यह भी मेरिट पर ही तय किया

23/4/24

...खसरा नम्बरान506 रकबा0.49, 507रकबा

जाएगा। पत्रावली में तनकीयात कायम की जाकर व दोनों पक्षकारों की साक्ष्य लेकर वाद का निस्तारण मैरिट पर किया जाना उचित होगा, तथा यह भी जरूरी है कि बैजात तौर पर मुकदमे बाजी ना बढे तथा वाद के निस्तारण में कठिनाईया पैदा ना हो इस प्रकार प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में साबित में बखूबी साबित है।

2.सुविधा का सतुलन – मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के हक में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में साबित है।

3.अपूर्ण क्षति – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया जाता है तो विवादित आराजी का खुर्दबुर्द रहने का अंदेशा रहेगा तथा वाद कि विषय वस्तु में परिवर्तन तो जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी प्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 30.09.2022 ताफैसला इस आशय के कन्फर्म किया जाता है कि विवादित आराजी की प्रार्थीया/वादिनी के हिस्से तक रिकॉर्ड व मौके कि यथा स्थिति बनाऐ रखे।

निर्णय आज दिनांक 23.04.24 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज०

23/4/24

(उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
आर.ए.एस.
नदबई (भरतपुर) राज
सहायक कलक्ट,नदबई